कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 2583 / तकनीकी / 2005 भोपाल, दिनांक 13 / 10 / 2005.

प्रति,

समस्त बैंकर्स,

मध्यप्रदेश.

विषय :– न्यायिक रहन के दस्तावेजों का पंजीयन कराने के संबंध में ।

संदर्भ :– म0प्र0शासन की अधिसूचना क्रमांक (36)बी–4–48–05–2–पांच दिनांक 5–9–2005.

–––0–––

कृपया उपर्युक्त अधिसूचना का अवलोकन करने का कष्ट करें । सुलभ संदर्भ हेतु इसकी छायाप्रति संलग्न है । राज्य स्तरीय बैकर्स समिति के अनुरोध पर राज्य शासन द्वारा इन दस्तावेजों पर पंजीयन फीस की दर घटाकर 1000रू. के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए 0.5 प्रतिशत कर दी गई है ।

जैसा कि आपको विदित है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 सहपठित सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 के अधीन 100रू. से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के बंधक दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य है । अतः कृपया आपकी बैंक में निष्पादित होने वाले न्यायिक रहन के दस्तावेजों का पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित करें । इन दस्तावेजों के पंजीयन से बैंकों को एक लाभ यह भी होगा कि उन्हें कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किये जा रहे, Frauds पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी ।

हस्ता / –

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.